जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/rpba/68 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 28 अप्रैल 2021

जयपुर एअरपोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़!!!

भाग-1

एअरपोर्ट अथोरिटी, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुमंजिला ईमारतों की उंचाईयों की अनुज्ञा में हो रहा जम कर भ्रष्टाचार!!!

जयपुर एअरपोर्ट की चारदीवारी से महज कुछ मीटर की दुरी पर बन रही अलग अलग उंचाईयों की चार बहुमंजिला ईमारते!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

एयरपोर्ट से सटी बहुमंजिला इमारतों से आतंकी खतरा!

वीआईपी सुरक्षा के नाम पर अब तक एयरपोर्ट-स्टेट हैंगर से सटी जिन बहुमंजिला इमारतों को टारगेट किया जा रहा था, प्रशासन के लिए अब वे आतंकी साजिश के तहत बड़ा खतरा हो गई हैं

जयपुर. वीआईपी सुरक्षा के नाम पर अब तक एयरपोर्ट-स्टेट हैंगर से सटी जिन बहुमंजिला इमारतों को टारगेट किया जा रहा था, प्रशासन के लिए अब वे आतंकी साजिश के तहत बड़ा खतरा हो गई हैं। आतंकी और असामाजिक तत्व यहां से आसानी से एयरपोर्ट के भीतर ग्रेनेड, पेट्रोल बम, आधुनिक हथियार से निशाना साध सकते हैं। जिला कलक्टर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। कलक्टर कृष्ण कुणाल ने इसके पीछे एसपीजी की रिपोर्ट और इंटेलीजेंस विभाग की जयपुर शहर के लिए आतंकी हमले संबंधी विशिष्ट सूचना का हवाला दिया है। साथ ही पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले व आईएसआईएस आतंकी संगठन के पेरिस हमले से भी जोड़ा गया है।

इन रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कलक्टर ने इस चिह्नित इलाके को सुरक्षा के गढ़ में तब्दील करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें एयरपोर्ट के 250 मीटर का दायरा भी शामिल है। जयपुर विकास प्राधिकरण, पुलिस और इंटेलीजेंस विभाग तीनों को ही अपने-अपने स्तर पर पुख्ता व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खास यह है कि आदेश की पालना नहीं करने को दण्डनीय अपराध माना गया है। इससे जेडीए व पुलिस प्रशासन में भी खलबली मच गई है। पिछले दिनों राष्ट्रपति की जयपुर यात्रा के दौरान सुरक्षा भी देखी गई थी।

खतरे के पीछे इनका हवाला

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) व कमाण्डेट सीआईएसएफ की 18 जनवरी को रिपोर्ट मिली, जिसमें भवनों की ऊंचाई को एयरपोर्ट के लिए खतरा बताया गया। आधुनिक व पारम्परिक हथियारों की मारक क्षमता आसानी से भीतर हो सकती है।

फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी के अलावा स्नैप शूटर्स की आशंका बनी रहेगी। इससे जेड व जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में है।

सीनियर कमाण्डेंट, सीआईएसएफ ने भी पुन: इन ऊंची इमारतों से आतंकी, हिंसक गतिविधियों की आशंका जताई।

यह किया जाएगा

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के दायरे में :- एयरपोर्ट व स्टेट हैंगर की बाउण्ड्रीवाल से 250 मीटर परिधि क्षेत्र।

पुलिस उपायुक्त, इंटेलीजेंस विभाग व एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े सीआईएसएफ जवान मिलकर निगरानी रखेंगे।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के एयरपोर्ट पर आगमन के समय 250 मीटर के दायरे में सभी भवनों में आवागमन प्रतिबंधित होगा।

सुरक्षा के लिहाज से इन भवनों की तलाशी और इलाके में 24 घंटे पेट्रोलिंग होगी।

धारा 20 (1) सहपठित 144 (1) के तहत बहुमंजिला इमारतों पर निगरानी होगी। इमारत में आने-जाने वालों की पहचान का हर दिन रिकॉर्ड होगा। इमारतों में कैमरा व अन्य उपकरणों के अलावा मोबाइल फोन तक ले जाने के लिए थानाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। 24 घंटे पुलिसकर्मी होंगे, जिनका खर्चा तक भवन मालिक से वसूला जाएगा।

वीआईपी सुरक्षा से आतंकी गतिविधि तक घूमी सुई

एयरपोर्ट टर्मिनल-2, स्टेट हैंगर के पास बनी इमारतों को वीआईपी सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता रहा है। इस दायरे में अधिकतम 15 मीटर ऊंची इमारत की अनुमति देने का फैसला कर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जबकि, इन इमारतों का निर्माण 32 मीटर ऊंचाई तक हो चुका है।

जेडीए ने नोटिस जारी कर निर्माण रोक दिया और इमारत सील कर दी।

निर्माणकर्ता बिल्डर न्यायालय पहुंचे, जहां इन्हें राहत मिली गई। इसके बाद से 'सरकारÓ चिंता में आ गई।

जेडीए, पुलिस, इंटेलीजेंस विभाग, सीआईएसएफ सभी ने अपने-अपने बचाव में एक-दूसरे को पत्राचार शुरू कर दिया।

कलक्टर ने भी इन रिपोर्ट्स को आधार बनाते हुए वीआईपी सुरक्षा के साथ आतंकी हमले की आशंका के खतरे से जोड़ा।

वर्ष 2015 में तत्कालीन जयपुर कलेक्टर ने माना कि VVIP के लिए सुरक्षित नहीं है जयपुर एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री दौरे के बाद कलेक्टर ने लिखी थी चिट्ठी

आपको वर्ष 2015 की अखबारों की सुर्खियाँ याद होगी जिसमे बताया गया था कि उस समय जयपुर में होने वाले होने वाले फिपिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर यात्रा सुरक्षित नही है|

इस यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में जयपुर एअरपोर्ट के पास स्थित बिल्डिंग्स को असुरक्षित माना था इसे देखते हुए तत्कालीन जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने जेडीए को पत्र लिखकर रिसर्जेंट राजस्थान से पहले इन इमारतों पर कार्रवाई करने के लिए कहा जेडीए आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले एसपीजी ने एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर के पास बनी ऊंची इमारतों को असुरक्षित बताया था. ऐसे में आने वाले दिनों में एयरपोर्ट और स्टेट हैंगर पर कई वीआईपी मेहमानों के आगमन में भी परेशानी हो सकती है. क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट के सबसे नजदीक हैं ऐसे में अधिकतर वीआईपी हेलीकॉप्टर और फ्लाइट डायवर्ट होने की संभावना रहती है

एअरपोर्ट की चारदीवारी से लगती हुई 160 फिट सड़क के दूसरी और बन चुकी/बन रही चार बहुमंजिला ईमारते|

आपको बता दें कि एअरपोर्ट की चारदीवारी से लगती हुई 160 फिट सड़क के दूसरी चार बहुमंजिला ईमारते स्थित है जिसमे से एक तो बन चुकी है और तीन अन्य का काम प्रगति पर है|लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस चारो बहुमंजिला इमारतों की उंचाईया अलग अलग है|वैसे तो इस बिल्डिंगों के नक़्शे स्वीकृत करने का काम जे.डी.ए. का है परन्तु एअरपोर्ट के नजदीक होने के कारण इन बिल्डिंगों की ऊँचाई के लिए एअरपोर्ट अथोरिटी,भारत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है परन्तु एअरपोर्ट अथोरिटी द्वारा भी इन बिल्डिंगों की ऊँचाई स्वीकृत करने में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है|

मेंशन रॉयल

इम्पीरियल क्लब

शिवज्ञान कासा प्राईम

शिवज्ञान विवांता

LOWCARS
(MALVIYA NAGA
लोकार्स
(मालवीय नगर)
37 मीटर ऊँचाई तक बिल्डिंग बनाने की अनुमति
शिवज्ञान कासा प्राईम
The T-Shirt Company
- tshirt manufacturing...
द टी-शर्ट
कंपनी - टीशर्ट...
Delivery
House Jaipur
चंदा फार्म
हाउस जयपुर
शिवज्ञान विवांता
महाराज मंदिर
Reliance Aviation
Fuel Station
Jaipur Surya
College
जयपुर
सूर्या
कॉलेज
Shiv Mandir
शिव मंदिर
Focus Institute
फोकस संस्थान
Bhomiyan ji ka Mandir
भोमियां
जी का मंदिर
Boutiqe
बौतिके
Map
Coffee with Manthan

26.97 मीटर ऊँचाई तक बिल्डिंग बनाने की अनुमति
इम्पीरियल क्लब
मेंशन रॉयल
Aryan Cricket Academy
आर्यन क्रिकेट अकादमी
हवाई अड्डे के बस स्टैंड
Mansion Royale
मैंशन रॉयल
Premium Parking
जयपुर एयरपोर्ट प्रीमियम...
Jaipur International Airport
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
Shivgyan Casa Prime
शिवज्ञान कासा प्राइम
Google

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. AAI/NOC/2014/149 /5989-5994 Date: 19/5/2014
21

Shivgyan Developers Pvt Ltd

16, Govind Marg,
Adarsh Nagar,
Rajapark,
Jaipur-302004

NO Objection Certificate for Height Clearance

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order SO84 (E) dated 14th Jan. 2010 for Safe and Regular Aircraft Operations.

1. References:

NOCID	JAIP/NORTH/B/032414/28029
Applicant Letter	Dated 30.04.2014
AAI Reference	

2. NOC Details for Height Clearance:

Applicant Name	Shivgyan Developers Pvt Ltd
Type of Structure	Building
Site Address	Khasra No.122,123,124,166,167, Village-Surajpuraghati, Tehsil-Sanganer, Jaipur
Site Cordinates	26 49 48N -75 48 5E, 26 49 52N -75 48 6E, 26 49 52N -75 48 7E, 26 49 48N -75 48 6E
Site Elevation AMSL in Mtrs	381 Mtrs Three Hundred Eighty one only
Permissible height above Ground Level in Mtrs	37.00 Mtrs Thirty Seven only
Permissible Top Elevation AMSL in Mtrs	418.00 Mtrs Four Hundred Eighteen only

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If,however, at any stage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant, this NOC will be invalid.

b. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft(Demolition of Obstruction caused by buildings and trees etc.) Rules,1994.

c. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation 418.00 Mtrs, indicated in para 2.

d. The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

e. The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue. If the building/structure/Chimney is not constructed & completed within the period, the applicant will be required to obtain a fresh 'NOC' from the Designated Officer of Airports Authority of India. The date of completion

PHOTO COPY ATTESTED
Original of which Produced for Comparision

NOTARY GOVT. RAVI KUMAR Advocate Distt. JAIPUR (Raj.) Reg. No. 7806 Exp. Date 15/Feb/2016

RAVI KUMAR (Advocate) Notary Public (Govt. of IND) Distt. JAIPUR (Raj.), IND Reg. No. 7806, Exp. Date 15 Feb

शिवज्ञान विवांता प्रोजेक्ट को दी 37 मीटर की ऊँचाई जबकि साईट एलिवेशन AMSL 381 मीटर है

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

NOC Letter

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Restricted Height

No. AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2014/219 | 7410-13

Date: 19/8/2014

JAIPUR HOTELS AND BUILDESTATES PVT LTD

JMJ HOUSE, ORCHARD AVENUE,
HIRANANDANI, POWAI,
MUMBAI - 400076

NO Objection Certificate for Height Clearance

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order S.O84 (F) dated 14th Jan 2010 for Safe and Regular Aircraft Operations.

1 References.

NOCID	JAIP/NORTH/B/070814/47110
Applicant Letter	Dated 01.07.2014
AAI Reference	

2. NOC Details for Height Clearance:

Applicant Name	JAIPUR HOTELS AND BUILDESTATES PVT LTD
Type of Structure	Building
Site Address	khasra no 776/1 776/2, 777, 778/1&2, 779/1, 2&3. 789/1 and786/2, village sawai gatore, Tehsil sanganer
Site Cordinates	26 49 47N -75 48 20E 26 49 51N -75 48 20E 26 49 50N -75 48 27E 26 49 48N -75 48 27E
Site Elevation AMSL in Mtrs	381 Mtrs Three Hundred Eighty One only
Permissible height above Ground Level in Mtrs	26.97 Mtrs Twenty Six Decimal Nine Seven Only
Permissible Top Elevation AMSL in Mtrs	407.97 Mtrs Four Hundred Seven Decimal Nine Seven only

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant, this NOC will be invalid.

b. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft(Demolition of Obstruction caused by buildings and trees etc.) Rules, 1994.

c. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation 407.97 Mtrs. indicated in para 2.

d. The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

e. The certificate is valid for a period of 5 years from the date of its issue. If the

मेंशन रॉयल प्रोजेक्ट को दी 26.97 मीटर की ऊँचाई जबकि साईट एलिवेशन AMSL 381 मीटर है

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

चार बिल्डिंगों में से 3 व्यवसायिक ,बनेंगे रूफ टॉप रेस्टोरेंट,होगी लोगो की आवाजाही,सुरक्षा को भयंकर खतरा

NOC की शर्तों मे स्पष्ट लिखा गया है कि:-**No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.**

एअरपोर्ट के नजदीक बन रही इन चार बहुमंजिला ईमारतों में से मेन्शन रॉयल,इम्पीरियल क्लब और शिवज्ञान विवांता में रूफ टॉप रेस्टोरेंट का प्रयोजन रखा गया है|जहाँ पर रोज बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जायेगा,इन पार्टियों में जम कर तेज संगीत और चकाचौंध रौशनी का उपयोग किया जाता है|जो कि विभाग की इस शर्त का सरासर उल्लंघन है|

वायुयान संचालन में बाधा होने पर बिल्डिंग को ध्वस्त करना जरुरी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी NOC में स्पष्ट किया हुआ है कि **"if, however, at any stage it is established that the said data as tendered & which could adversely effect aircraft operations. The structure or parts thereof in respect of which this "No Objection Certificate" is being issued will have to be demolished at his own cost as may be directed by the Airports Authority of India.**

यदि समय रहते इन बहुमंजिला ईमारतों के निर्माण को नहीं रोका गया तो भविष्य में यह इमारते निश्चित तौर पर VVIP और आम जन के लिए परेशानी का सबब बनेगी|

क्रम	बिल्डिंग का नाम	प्रस्तावित तल
1	मेंशन रॉयल	भूतल+7 तल
2	इम्पीरियल क्लब	भूतल+7 तल
3	कासा प्राइम	भूतल+9 तल
4	शिवज्ञान विवांता	भूतल+9 तल

जिम्मेदार कौन?

क्रम	विभाग	सरकार
1	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	भारत सरकार
2	एअरपोर्ट अथोरिटी,जयपुर	भारत सरकार
3	नगरीय विकास विभाग	राजस्थान सरकार
4	जे.डी.ए.,कलेक्टर कार्यालय	राजस्थान सरकार